कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण,
जिला -नारायणपुर
E-mail:- cssda.narayanpur@gmail.com PH.NO. 07781-252287

क्रमांक / 249 / कां.से. / CSSDA / 2021–22 नारायणपुर, दिनांक 20/07/2021

–: आदेश :–

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / 739 / CSSDA / Sac.coun./2020 रायपुर, दिनांक 13.11.2020 क तहत राज्य में संकल्प परियोजना के क्रियान्यवन हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन उपरांत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत जिले में काउंसिलिंग सेल की स्थापना अंतर्गत 03 काउंसलर्स का चयन किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम	पति का नाम	पता	ईम्पैनल हेतु पद का नाम	रिमार्क
1	श्री अजय कुमार निर्मलकर	श्री भीखम निर्मलकर	वार्ड कं. 05 नवापारा, देवरी सारागांव, जांजगीर चाम्पा	काउंसलर	चयनित
2	श्री संजय कुमार मिश्रा	श्री चंद्रमणी प्रसाद मिश्रा	मकान नं. 41, दीनदयाल कॉलोनी रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर		चयनित
3	श्री विनोद कुमार साहू	स्व. श्री बैसाखू राम साहू	वार्ड कमांक 10 उपरपारा, नगर व पोस्ट – अंतागढ, जिला उ.ब.कांकेर		चयनित

उपरोक्तानुसार 03 काउंसलर्स का अस्थायी रूप से निम्नालिखित शर्तो के अधीन चयन (ईम्पैनल) किया जाता है।

यह आदेश निम्नानुसार नियम एवं शर्तो के साथ जारी किया जाता है :–

1. काउंसलिंग के दौरान राज्य एवं जिला अन्तर्गत पूर्व से उपलब्ध तथा भविष्य के संभावित रोजगार / स्वरोजगार के अवसरों से हितग्राहियों को अवगत करावें तथा स्वरोजगार हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऋण तथा उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारी का व्याख्यान / प्रस्तुतीकरण कराये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना है।
2. काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक हितग्राहियों की शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन किया जाना है।
3. काउंसलिंग में सम्मिलित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु काउंसलिंग के दौरान कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरांत सफल युवाओं को व्याख्यान (सफलता की कहानी) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना।
4. काउंसलर को राज्य प्राधिकरण के वेबपार्टल पर काउंसलिंग से संबंधित कार्यवाही ऑनलाईन दर्ज किये जाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें काउंसलर द्वारा काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी प्रविष्ट की जायेगी।
5. काउंसलिंग का आयोजन जिला मुख्यालय में स्थित लाईवलीहुड कॉलेज के भवन में आयोजित किया जायेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया निरंतर प्रत्येक दिवस संचालित की जायेगी।
6. लाईवलीहुड कॉलेज में काउंसलिंग होने का समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना।
7. काउंसलिंग हेतु राज्य प्राधिकरण / जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जाना।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला नारायणपुर का निर्णय मान्य होगा।

काउंसलर को मानदेय का भुगतान :–

1. काउंसलर को मानदेय अधिकतम 750 रू. प्रति काउंसलिंग दिवस की निर्धारित दर से दिया जायेगा। (माह में अधिकतम 20 काउंसलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है)

2. काउंसलर को उनके निर्धारित मानदेय का भुगतान निम्न आधार पर किया जाना है –
   - काउंसलर द्वारा काउंसलिंग के समय तैयार किये गये प्रतिवेदन,
   - फाटोग्रापस तथा
   - काउंसलिंग में उपस्थित युवाओं को प्रशिक्षण बैच में प्रशिक्षणार्थियों के रूप में पंजीयन।
3. मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता या राशि प्रदाय नहीं किया जायेगा।
4. काउंसलिंग सेल तक आने–जाने हेतु किसी प्रकार का वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

काउंसलर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :–

काउंसलर द्वारा युवाओं के काउंसलिंग के पश्चात निर्धारित प्रारूप में जानकारी सहायक संचालक / प्राचार्य / सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज को प्रस्तुत किया जाना है।

काउंसलर की कार्य अवधि :–

(काउंसलिंग कार्य अवधि में विस्तार या भविष्य में काउंसलिंग कार्य की निरंतरता हेतु आवश्यक)

- संकल्प परियोजना के क्रियान्वयन तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर।
- काउंसलिंग के उपरांत हितग्राही का प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवर्तित होने के प्रतिशत (न्यूनतम 60 प्रतिशत) के आधार पर।
- प्रशिक्षण बैच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के नियमित उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज के आधार पर किया जावे।
- काउंसलिंग के पश्चात् प्रशिक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों की नियमित उपस्थिति के आधार पर काउंसलर का मूल्यांकन किया जायेगा।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
जिला–नारायणपुर

क्रमांक / 250 / कां.से. / CSSDA / 2021–22 नारायणपुर, दिनांक 20/07/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग.रा.कौ.वि. प्राधिकरण रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर की ओर सूचनार्थ।
4. नोडल अधिकारी, कौशल विकास जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।
5. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. नारायणपुर की ओर जिलें के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. सर्व संबंधित... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप दिनांक 05/08/2021 तक 10/– रू0 के नान जुडीसियल स्टाम्प पेपर में इकरारनामा के साथ सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण नारायणपुर में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय पर उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
जिला–नारायणपुर